न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/19)

सिंगराम पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी गागडवास तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजगढ।
2. उम्मेद सिह पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी गागड़वास तहसील व जिला राजगढ (चूरू)

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रहलाद जांखड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2

निर्णय **दिनांकः 04.02.2026**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ के मुकदमा संख्या 54/2019 अनवान राजस्थान सरकार बनाम उम्मेद सिह आदि के निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 06.02.2019 को निरस्त कर वादगत भूमि मौजारोही लुटानामगनी तहसील राजगढ के खसरा नं. 126 तादादी 0.04 हैक्टर 390 वर्गमीटर कृषि भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मौजा रोही भूमि मौजारोही लुटानामगनी तहसील राजगढ के खसरा नं. 126 में 2.25 हैक्टर स्थित है जिसमे अपीलान्ट का शान्तिपूर्ण तरीके से फसल काश्त करता है। अपीलान्ट की उक्त कृषि भूमि में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कभी भी कोई मार्ग, रास्ता अथवा पगडण्डी ना तो स्वीकृत शुदा है, ना ही प्रचलन में रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से बिना आवश्यकता ही आदेश जैर अपील पारित कर खेत के मध्य से अनुचित रूप से रास्ता कायम कर अंकन करने का आदेश प्रदान करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रकरण सं. 54/2019 सरकार बनाम उम्मेद सिह आदि दर्ज कर खसरा नं. 127 के काश्तकारान से मिली भगत कर रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति प्राप्त करना अंकित कर बिना अपीलान्ट की सहमति व स्वीकृत के आदेश जैर अपील पारित कर दिया। राजस्व नक्शा देखने मात्र से स्पष्ट है कि खसरा नं. 127 के उत्तर की तरफ एक सड़क 25–30 फुट चौड़ी राजगढ से बिस्लान व गागडवास गांव की तरफ जाती है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नं. 127 के काश्तकारान को या आगें अन्य किसी काश्तकार को अपीलान्ट के खसरा नं. 126 मे से मार्ग की ना तो आवश्यकता थी, ना ही किसी प्रकार की मार्ग का प्रचलन होना संभव था। अनावश्यक रूप से अपीलान्ट के खेत मे से 0.04 हैक्टर यानि 390 वर्गमीटर भूमि राजस्व रिकार्ड में कम करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में दी गई मार्गदर्शन के अनुसरण में रास्ते का अंकन करने का वर्णन किया है जबकि उक्त परिपत्र में किसी भी प्रकार के नया रास्ता कायम करने अथवा अंकन करने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही दिया गया है तथा उक्त परिपत्र के अनुसार उक्त परिपत्र मे दी गई व्यवस्थाओ को 15.12.2016 से पूर्व सम्पादित किये जाने का भी उल्लेख अर्थात सन् 2019 में अधीनस्थ न्याायालय को ऐसा कोई अधिकार ही प्राप्त नही था। साथ ही यहा यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि परिपत्र के अनुसार यहा पक्षकार को इस निमित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे। से स्पष्ट है कि हितबद्व पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जायेगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र का दुर्भावना पूर्ण प्रयोग कर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लघन किया है। अपीलान्ट ने जानकारी से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बिना कोई देरी किये दिनांक 01.08.2019 को न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के समक्ष गलत अपील प्रस्तुत कर दी। जिसकी जानकारी दिनांक 21.08.2019 को न्यायालय द्वारा उक्त अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण निरस्त कर दी तथा संक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान किया। जिस पर अपीलान्ट ने पुनः विधिक राय प्राप्त की तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर यथासंभव शीध्र श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। तथा धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 06.02.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं न्याय हित में वादगत भूमि मोजारोही लुटानामगनी तहसील राजगढ के खसरा नं. 126 तादादी 0.04 हैक्टर यानि 390 वर्गमीटर कृषि भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2024 (2) पेज 788, RRT 2024(2) पेज 1279, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / अध्ययन किया। प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्व है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 68 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रभावित/हितबद्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित/हितबद्व पक्षकारान को बिना सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित किया है। अतः उपखण्ड अधिकारी राजगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2019 को कायम रखा जाना उचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2019 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि उभय पक्ष/हितबद्व पक्षकारान को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर